

तारीख
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/12/24

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेशा हुगी। दौराने बहस वकील प्रार्थी का रूपम रहा है कि तुलाविद्य प्रार्थना पत्र, इकबालेमा जवाब अप्रार्थीगण व रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णित किया जावे। पत्रावली, इकबालेमा जवाब व रिपोर्ट तहसीलदार, फर्द नोंका दिनांक 29-09-23 के डवलोकन-अहमदन व बहस वकील प्रार्थी के पर अनन उपरान्त जाटिर है कि राजस्व शिकिर में बंटवारा तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों से सहवन से त्रुटे हुमी है जिसे दुस्त विना जाना न्यायदित में उचित है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णित किया जाता है एवं तहसीलदार चिड़ावा को अदेशित किया आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में कंबित त्रुमियां राजस्व ग्राम पटेलनगर, रक. नं.

141, 235/141, 123, 231/123 का राजस्व नक्शा एवं रिकार्ड फर्द नोंका रिपोर्ट दिनांक 29-09-2023 अनुसार दुस्त किया जावे। फर्द नोंका रिपोर्ट 29-09-2023 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार चिड़ावा को पालना हेतु तहरीर जारी है। पत्रावली वाइ फेसल शुमार नम्बर से कम लेटर दफ्तर दारिकल है। निर्वय सरे इजलास तुनामा गमा।

उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा (सुंझुन)